5/11/22 पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षो
के वकील अनुपस्थित। निर्णय अलग
से लिखा जाकर खुले न्यायालय
सुनाया गया। पत्रावली तकमील अमल
होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

Adv.

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:54 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :— 122/2019

**वादीगण**

1. हरखु पुत्री सेरा (पत्नी खूमाराम)
   जाति जाट निवासी गोलिया कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. हीरा पुत्री सेरा (पत्नी वीरमाराम)
   जाति जाट निवासी जूना खेड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. नोजी पुत्री सेरा (पत्नी हुकमाराम)
   जाति जाट निवासी जूना खेड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. मांगा पुत्र सेरा फौत के कायम मुकाम :—
   1/1 कलू पत्नी मांगा (फौत होने से डिलिट)
   1/2 पारू पत्नी मांगा
2. भेराराम पुत्र मोडाराम
3. जेठाराम पुत्र मोडाराम
4. रम्भादेवी पत्नी मोडाराम
5. देराज गोदपुत्र पेमाराम
6. गोरधन पुत्र कुंभा
7. हेमी पत्नी कुंभा (फौत होने से डिलिट)
   जाति जाट निवासी जूना खेडा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम वास्ते पाने घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा**

**उपस्थित :—**

1. **श्री रिडमलराम चौधरी अधिवक्ता वादीनीगण**
2. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्त प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2**

## —:: निर्णय ::—

## ( जरिये राजीनामा )

दिनांक :— 15/11/22

वादीनीगण ने यह वाद धारा 88, 40, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा हिन्दू विधि से शासित हैं। वादीनीगण व प्रतिवादी ... की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम आमलियाला वर्तमान ग्राम जूनाखेड़ा तहसील गुड़ामालानी में खसरा नम्बर 50, 77 रकबा क्रमशः 56—04, 89—00 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 105 रकबा 2—15 बीघा किस्म गे.मु. ढाणी की आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी पूर्व पुरूष शेरा पुत्र रूगाराम की खातेदारी में थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

वादीनीगण शेरा पुत्र रूगाराम की जायन्दा पुत्रीयां है तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 मांगा पुत्र सेरा की पत्नीयां हैं। सेरा की फौतगी पर वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 के पति मांगा के नाम विरासत का नामान्तरण खोला जाना था परन्तु मांगा पुत्र सेरा ने वादीनीगण को पैतृक भूमि से बेदखल रखने की नीयत से वादीनीगण को बंचित रखते हुए अपने स्वयं के नाम से नामान्तरण दर्ज करवा लिया वर्तमान में मांगा फौत हो चुके हैं तथा भूमि प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 के नाम खातेदारी में दर्ज है। हाल ही में प्रतिवादी संख्या 1/1 कलू पत्नी मांगा भी फौत हो चुकी हैं। उक्त विवादित आराजी में वादीनीगण के पैतृक हक निति होने से पैतृक अधिकारों की घोषणा का वाद पत्र लाया जाना आवश्यक होने से उक्त वाद पत्र खातेदारी घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा को पेश किया गया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 के अधिवक्ता द्वारा एक लिखित राजीनामा पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम प्रतिवादी एवं वादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना तथा आपसी पारिवारिक सहमति से राजीनामा हो चुका है उक्त प्रकरण की विवादित आराजी मौजा जूना खेड़ा के खसरा नम्बर 50, 77 रकबा क्रमशः 56–04, 89–00 बीघा किस्म बा.दो. एवं खसरा नम्बर 105 रकबा 2–15 बीघा किस्म गे.मु. ढाणी का आया हुआ था जो प्रतिवादीगण व वादीनी के पूर्व पुरूष सेराराम पुत्र रूगाराम की वक्त सेटलमेंट सेराराम के नाम होकर वारिशानों की कब्जे काश्त में चली आ रही है। स्व0 सेराराम के फौतगी पर ज़ायन्दा वारिशान मांगा पुत्र सेराराम का उक्त आराजी में नामान्तरकरण हुआ व मांगा का इन्तकाल होने पर वारिसान [illegible] कलू व पारू के पक्ष में हुआ, कालान्तर में कलू का भी देहान्त होने [illegible] उक्त भूमि जो पारू के पक्ष में हुई इस दरम्यान उक्त राजस्व वाद [illegible] सेरा की पुत्रियांन हरखू, हीरा व नोजी द्वारा घोषणा का पेश किया [illegible], चूंकि आप वादीनीगण सेराराम की पुत्रियां हो तथा हमने हमारे बड़े बुजुर्गों तथा सामाजिक नाते रिश्तेदारों के मध्य सामाजिक लोक अदालत की भावना से हमने मौके पर सेराराम के 1/2 हिस्से से वादीनी के पक्ष में आने वेाली भूमि जिसमें रकबा 36–00 बीघा भूमि मौजा जूना खेड़ा के खसरा नम्बर 89–00 बीघा में से देना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

स्वीकार कर व वादीनीगण ने अपना रकबा 36–06 बीघा भूमि लेनास्वीकार कर व मौके पर आवसी राजीनामा अनुसार उक्त खसरा नम्बर 77 के सेढे पाडौसी खुलवाकर जिामें उत्तर दिशा का भाग प्रतिवादीनी पारू पत्नी मांगा का रहेगा तथा दक्षिण दिशा में पाड़ौस गोरधन पुत्र कुम्भा, पूर्व में भी गोरधन पुत्र कुम्भा का खेत ताि पश्चिम दिशा में लूणी नदी का खरारा के लगते हुए पाडौस खोलकर हमने दोनों पक्षों ने आपसी राजीनामा स्वीकार कर लिया है। वादीनीगण व प्रतिवादीगण के मध्य लोकभावना से राजीमा कर लिये जाने पर अब उक्त वाद में खसरा नम्बर 77 रकबा 89–00 बीघा मे वादीनीगण का रकबा 36–00 बीघा भूमि शेष प्रतिवादीगण व अन्य खसरा नम्बर 50 व 105 में प्रतिवादीगण का रहेगा। इसी मुताविक हमने आपसी राजीनामा कर दिया है। अतः उक्त राजीनामा अनुसार वाद डिकी किया जावे।

हमने दोनों पक्षों के विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों के अवलोकन किया गया। वर्तमान में विवादित आराजी प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज होने से एवं भूमि वादीनीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक होने से वादीनीगण के हक उक्त आराजी निहित होने की पुष्टि होती है तथा प्रतिवादीगण व वादीनीगण द्वारा लोक अदालत की भावना से लिखित राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत कर माफिक राजीनामा वाद डिकी किये जाने का आग्रह किया है ऐसी स्थिति में वाद वादीनीगण माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जूना खेड़ा पटवार क्षेत्र भेड़ाना तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 77 रकबा 89–00 बीघा की भूमि में वादीनीगण को 36–06 बीघा भूमि का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। इसी अनुसार डिकी पर्चा जारी हो। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग ... करीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक ...... को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:54 IST
Reason: SelfAttested

( प्रमोद कुमार )
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी

# डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑ 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

( Civil Procedure Code Appendix 'D'-1 )

अज अदालत सहायक कलक्टर ( S.D.O. ) गुडामालानी

व इजलास श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

**वादीगण**

1. हरखु पुत्री सेरा (पत्नी खूमाराम)
   जाति जाट निवासी गोलिया कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. हीरा पुत्री सेरा (पत्नी वीरमाराम)
   जाति जाट निवासी जूना खेड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. नोजी पुत्री सेरा (पत्नी हुकमाराम)
   जाति जाट निवासी जूना खेड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. मांगा पुत्र सेरा फौत के कायम मुकाम :–
   1/1 कलू पत्नी मांगा (फौत होने से डिलिट)
   1/2 पारू पत्नी मांगा
2. भेराराम पुत्र मोडाराम
3. जेठाराम पुत्र मोडाराम
4. रम्भादेवी पत्नी मोडाराम
5. देराज गोदपुत्र पेमाराम
6. गोरधन पुत्र कुंभा
7. हेमी पत्नी कुंभा (फौत होने से डिलिट)
   जाति जाट निवासी जूना खेडा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम वास्ते पाने घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा**

निर्णय दिनांक : 15/11/22

**प्रकरण संख्या** 122/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रिडमलराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण व हाजरी श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीनीगण माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जूना खेड़ा पटवार क्षेत्र भेड़ाना तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 77 रकबा 89–00 बीघा की भूमि में वादीनीगण को 36–06 बीघा भूमि का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15/11/22 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:54 IST
Reason: SelfAttested

( प्रमोद कुमार )
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी

मुहर